कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

दिनांक : 06 अगस्त, 2019

आवश्यक सूचना

शैक्षिक **सत्र 2019–20** में स्नातक स्तर पर प्रवेश में छात्र/छात्राओं की कठिनाईयों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, की परिनियमावली के परिनियम 12क.26 में उक्त के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है:–

12क.26–"**किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।**"

अतः ऐसे समस्त महाविद्यालय जो स्ववित्तपोषित विषय/पाठ्यक्रम (व्यावसायिक विषयों/पाठ्यक्रम को छोड़कर) हेतु उक्त प्राविधान के अंतर्गत सीट वृद्धि चाहते हो, दिनांक **13.08.2019** तक अधोलिखित अद्यतन विवरण के साथ विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें –

1. महाविद्यालय में अनुमोदित/संविदा विस्तारित एवं कार्यरत प्राचार्य एवं समस्त प्राध्यापकों का विवरण।
2. अनुमोदित प्रवक्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति।
3. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्राध्यापकों का अद्यावधिक वेतन भुगतान का प्रमाण।
4. वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी महाविद्यालय के खाते का बैंक स्टेटमेंट।
5. सत्र **2019–20** में अब तक प्रवेशित समस्त्र छात्र/छात्राओं की संख्या विषयवार।
6. संदर्भित विषयों/पाठ्यक्रम हेतु शासन/विश्वविद्यालय से प्रदत्त सम्बद्धता की अनुमति पत्र में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा उपर्युक्त के सम्बन्ध में संलग्न किये जाने वाले समस्त सत्यापित अभिलेखों के सत्य होने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में रू0 100/– के नोटरीयुक्त फोटो सहित शपथ पत्र।

निर्धारित समयावधि के **पश्चात/उक्त सूचना के बिना** उपलब्ध कराये गये प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

पत्रांक :कु0स0–2 B स0अ0/15707/विविध आ0– **32**–स्नातक सीट वृद्धि–2015/2019 तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वैयक्तिक सहायक–कुलपति, मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. सहायक कुलसचिव–परीक्षा, को इस आशय से कि सम्बद्धता महाविद्यालयों की सम्बद्धता की स्थिति से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. प्राचार्य/प्रबंधक समस्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से कि सीट वृद्धि हेतु इच्छुक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय से सम्बंधित सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करायें।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

कुलसचिव

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/1576/विविध आ0–**32**–सीट वृद्धि–2015/2019 दिनांक : 06 अगस्त, **2019**

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, की परिनियमावली के परिनियम 12क.26 में प्राविधानित "**किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।**" के अधीन मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विगत वर्षो की भॉति **सत्र 2019–20** हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित एवं सम्बद्धता प्राप्त नियमित विषयों/पाठ्यक्रमों में स्वीकृत/अनुमन्य (स्ववित्तपोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम/विषयों को छोड़कर) सीटों पर सहर्ष सीट वृद्धि अनुमन्य की जाती है।

उपर्युक्त के अंतर्गत महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति विषय में 60 से 80 सीट तथा स्नातकोत्तर प्रायोगिक विषय में किसी भी दशा में 40 सीट से अधिक नहीं होगी।

कुलसचिव

पत्रांक :कु0स0–2 B स0अ0/ /विविध आ0–**32**–सीट वृद्धि–2015/**2019** तद् दिनांक
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति–मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. प्राचार्य/प्रबंधक उपर्युक्त सम्बंधित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि इस आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कर दे।

कुलसचिव